राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 2293/2024

नेहा गौड़ **–अपीलार्थी**

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये प्रमुख शासन सचिव, पशु पालन विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. निदेशक एवं संयुक्त सचिव, स्थानीय निकाय विभाग, जयपुर।
3. उपायुक्त, कार्मिक, नगर निगम, हेरिटेज, जयपुर।

–प्रत्यर्थीगण

समक्ष :– शुचि शर्मा, सदस्य
चेतन राम देवड़ा, सदस्य

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 15.07.2024
आदेश की दिनांक : 16.07.2024

अपीलार्थी की ओर से : श्री दिलीप सिंह कुरका, अधिवक्ता

आदेश

मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलो के लिए अपील अधिकरण) अधिनियम, 1976 की धारा 4ए के उपबन्ध में शिथिलता प्रदान करने की प्रार्थना स्वीकार कर अपील पर सुनवाई की गई।

प्रस्तुत अपील अनुसार अपीलार्थी पशु चिकित्सा अधिकारी के पद पर आदेश दिनांक 13.01.2023 (अनुलग्नक–3) द्वारा नगर निगम ग्रेटर, जयपुर में स्थानान्तरण किया गया, जिसकी पालना में अपीलार्थी द्वारा दिनांक 18.01.2023 (अनुलग्नक–4) द्वारा कार्यग्रहण कर लिया। प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 21.02.2024 (अनुलग्नक–5) द्वारा अपीलार्थी का स्थानान्तरण नगर निगम (ग्रेटर) से नगर निगम (हेरिटेज) किया गया, जिसकी पालना में अपीलार्थी द्वारा दिनांक 23.02.2024 (अनुलग्नक–6) को कार्यग्रहण कर लिया गया। तब से अपीलार्थी को नगर निगम हेरिटेज से लगातार वेतन आहरित किया जा रहा है, जो अनुलग्नक–7 पर उपलब्ध है। प्रत्यर्थी विभाग द्वारा आदेश दिनांक 22.02.2024 (अनुलग्नक–8) द्वारा अपीलार्थी के स्थान पर डॉ. चन्द्रवीर सिंह ग्रामीण बहुउद्देशीय पशु चिकित्सालय, हिंगोनिया, जयपुर से नगर निगम जयपुर ग्रेटर किया गया, जबकि अपीलार्थी नगर निगम ग्रेटर में कार्यरत ना होकर नगर निगम हेरिटेज में कार्यरत है। एक अन्य आदेश दिनांक 22.02.2024 द्वारा डॉ. योगेश कुमार शर्मा पशु चिकित्सालय खुडासा, भरतपुर से नगर निगम हेरिटेज, जयपुर प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण किया गया। प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 27.02.2024 (अनुलग्नक–9) के द्वारा स्पष्ट किया गया कि नगर निगम जयपुर हेरिटेज में पशु चिकित्सा अधिकारी का एक पद स्वीकृत है, जिस पर

अपीलार्थी को कार्यग्रहण करवा लिया गया। आदेश दिनांक 11.03.2024 (अनुलग्नक–10) द्वारा डॉ0 योगेश कुमार शर्मा को कार्यभार ग्रहण नहीं करवाया गया। प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 09.07.2024 (अनुलग्नक–11) द्वारा डॉ0 योगेश कुमार शर्मा को पशु पोषाहार में दिनांक 13.06.2024 को अपनी उपस्थिति दी। अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता द्वारा यह अनुरोध किया गया कि अपीलार्थी का बिना मस्तिष्क का प्रयोग किए आलौच्य आदेश दिनांक 03.07.2024 (अनुलग्नक–1) के द्वारा अपीलार्थी को कार्यमुक्त कर आदेशों की प्रतीक्षा में दिखाया गया, जबकि विभाग द्वारा अपीलार्थी के विरूद्ध प्रत्यर्थी विभाग द्वारा कोई स्थानान्तरण आदेश पारित नहीं किया गया और ना ही प्रतिनियुक्ति को समाप्त नहीं किया गया, उसके बावजूद भी उसको कार्यमुक्त करने का आदेश प्रत्यर्थी विभाग द्वारा किया गया। उक्त आदेश की पालना में आदेश दिनांक 04.07.2024 (अनुलग्नक–2) द्वारा अपीलार्थी को नगर निगम हैरिटेज, जयपुर से पशु पालन विभाग, जयपुर के लिए कार्यमुक्त कर दिया गया, जबकि नगर निगम हेरिटेज में पशु चिकित्सा अधिकारी का पद रिक्त है। उक्त आलौच्य आदेश प्रतिबंध अवधि के दौरान जारी किया गया है।

अतः अपीलार्थी की अपील स्वीकार की जाकर प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 03.07.2024 (अनुलग्नक–1) एवं कार्यमुक्ति आदेश दिनांक 04.07.2024 (अनुलग्नक–2) को अपास्त किया जावे तथा अपीलार्थी को वर्तमान पदस्थापन स्थान पर निरंतर कार्य करने दिया जावे।

बहस के दौरान अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता द्वारा यह अनुरोध किया गया कि अपीलार्थी अपील में अंकित तथ्यों के आधार पर प्रत्यर्थी विभाग के सक्षम अधिकारी के समक्ष अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करना चाहता है अतः अपीलार्थी द्वारा प्रत्यर्थी विभाग के समक्ष अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करने पर प्रत्यर्थी विभाग द्वारा नियमानुसार अभ्यावेदन का निस्तारण करने के आदेश प्रदान किए जावे। प्रत्येक कार्मिक को यह अधिकार प्राप्त है कि वह सेवा संबंधी अभाव अभियोग निवारण हेतु अपने नियोक्ता को अभ्यावेदन प्रस्तुत कर अपनी परिवेदना प्रस्तुत कर सके।

अतः प्रस्तुत अपील के तथ्यों के संबंध में गुणावगुण पर विचार नहीं करते हुए तथा अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता के स्वयं के अनुरोध को दृष्टिगत रखते हुए न्यायहित में यह आदेश दिया जाता है कि अपीलार्थी आगामी दो सप्ताह की अवधि में प्रशासनिक विभाग के सक्षम प्राधिकारी को अपनी अपील में वर्णित तथ्यों के संबंध में अभ्यावेदन प्रस्तुत करे। सक्षम प्राधिकारी को यह निर्देश दिये जाते है कि वह पूर्वोक्त आशय का अभ्यावेदन प्राप्त होने पर उसे राज्य सरकार व विभाग के नियमों/ दिशा–निर्देशों/ परिपत्रों के परिप्रेक्ष्य में आगामी दो सप्ताह की अवधि में गुणावगुण के आधार पर नियमानुसार आख्यात्मक आदेश (Speaking Order) प्रसारित कर अभ्यावेदन को निस्तारित करे और ऐसे निस्तारण की सम्यक् सूचना अपीलार्थी को दे। यहाँ यह

स्पष्ट किया जाता है कि उक्त निर्देश अभ्यावेदन को विशिष्ट रूप से निस्तारित करने के लिए नहीं दिए जा रहे है वरन् मात्र इस आशय से दिए जा रहे है कि अपीलार्थी के अभ्यावेदन का उक्त निर्देशित अवधि में नियमानुसार निस्तारण किया जावे।

अतः उक्त अपील, मय स्थगन प्रार्थना पत्र, ग्राह्यता के प्रक्रम पर ही उपर्युक्त निर्देश के साथ अन्तिम रूप से निस्तारित की जाती है।

(चेतन राम देवड़ा)
सदस्य

(शुचि शर्मा)
सदस्य